ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/1501/2004/जैसलमेर सरकार बनाम नंदलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमति पूनम माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांक 04–02–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील सं0 233/1997 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 18–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध उपायुक्त उपनिवेशन, नाचना के न्यायालय में एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88,188 व 15 एएए(2ए) को विवादित आराजी बाबत् पेश कर कथन किया कि अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से वे विवादि आराजी पर काबिज काश्त है तथा वादी का इस भूमि पर जागीर के समय से तत्कालीन जागीरदार के टिनेंट की हैसियत से कब्जा रहा है, अतः 15 एएए के तहत वह भूमि का स्वतः खातेदार हो गया किन्तु वादी के नाम खातेदारी का अंकन नहीं किया गया। अतः वाद स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने दावे को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी ने जवाब पेश

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/1501/2004/जैसलमेर सरकार बनाम नंदलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकियात विरचित की। बाद सुनवाई एवं साक्ष्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24-01-97 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18-08-2003 द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वादी को विवादित भूमि का गैर खातेदार घोषित किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा पेश किए गए न्यायिक दृष्टांत 1996 आर0आर0डी0 पेज 324, 1996 आर0आर0डी0 एच0सी0 पेज 532, 2000 आर0आर0डी0 एच0सी0 पेज 85, 2002 आर0आर0टी0 एच0सी0 पेज 924, ए0आई0आर0 1994 एस0सी0 पेज 1128 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 एएए (2ए) के अन्तर्गत खातेदारी की घोषणा हेतु वाद उपायुक्त उपनिवेशन (ई0गा0न0प0) नाचना लाया गया है। विचारण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन (ई0गा0न0प0) नाचना ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/1501/2004/जैसलमेर सरकार बनाम नंदलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कब्जा वर्ष 1955 से पूर्व का सिद्ध नहीं माना जा सकता। जबकि पुख्ता भू प्रबंध के पश्चात् कब्जा साबित माना गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विश्लेषित करते हुए वादी प्रत्यर्थी/वादी का कब्जा काश्त 1955 से पूर्व का मानते हुए उसे गैर खातेदार घोषित किए जाने हेतु सक्षम माना है। हमारी सुविचारित राय में अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा साक्ष्य के संबंध में लिए गए निष्कर्ष पूर्णतया उपयुक्त है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	